M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

मुख्या/आरसीओ/उद्यान/2018–19/266 भोपाल, दिनांक 18 अप्रेल 2019

रेट कान्ट्रेक्ट आफर – संशोधन सूचना (Corrigendum) – 5

अधिसूचित प्रोपायटरी संकर बीज –धान, मक्का, ज्वार, स्वीटकार्न एवं बाजरा के लिये क्रमांक मुख्या/आरसी ओ/उद्यान/2019–20/ 6497 दिनांक 8.3.2019 से जारी रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में **परिशिष्ट क्रमांक 3** – तकनीकी योग्यता दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर आपलोड किया जाना आवश्यक है तथा लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण **में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :**

1. **परिशिष्ट 03 के बिन्दु क्रमांक 2** में "विक्रयकर विभाग" के स्थान पर "वाणिज्यिक कर विभाग" स्थापित किया जाता है।

2. **परिशिष्ट 3 के बिन्दु क्रमांक 3** में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :

   आफर की गई किस्मों के परीक्षण ट्रायल प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय – राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में सम्पन्न कराये गये हो से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

3. **परिशिष्ट 3 की कंडिका 5 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :**

   मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास के सक्षम अनुज्ञप्ति अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी से जारी प्रदेश में बीज विक्रय के लायसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. **परिशिष्ट 3 में निम्नानुसार कंडिकाए जोडी जाती है :**

   कंडिका 12 – आफरकर्ता द्वारा आफर की गई किस्में किसी भी तरह से जेनेटिकली माडिफाईड नही है इस स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

   कंडिका 13 – आफर की गई किस्में गत तीन वर्षो में किसी भी राज्य में प्रतिबंधित नही की गई है। यदि कम्पनी या किस्म पर कोई कार्यवाही की गई हो तो विवरण प्रस्तुत करे।

5. **परिशिष्ट 11 –" रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र " के पेरा क्रमांक 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :**

   हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है । आफर की गई किस्में गत तीन वर्षो में किसी भी राज्य में प्रतिबंधित नही की गई है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शेष सभी नियम एवं शर्ते अपरिवर्तित रहेगी ।

महाप्रबंधक उद्यान